

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/स्थिरी-अ/आ.वि.अधि./2020-21

दिनांक: 03-03-2021

समस्त, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक
समस्त, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

अति-आवश्यक


विषय :- आहरण वितरण अधिकार (03 Power) के संबंध में ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अधीनस्थ विद्यालयों में आहरण एवं वितरण अधिकारी का पद रिक्त होने पर संबंधित विद्यालय के आहरण एवं वितरण संबंधी कार्य संचालन हेतु सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 3(a) के अन्तर्गत जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, मुख्यालय/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तावित कार्मिक/अधिकारी को उस विद्यालय का आहरण एवं वितरण अधिकार (03 Power) प्रदान किये जाते हैं ।

इस सम्बन्ध में निम्नांकित बिन्दुओं की पूर्ण पालना करते हुये प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया जावे-

1. जिस विद्यालय का आहरण वितरण अधिकार प्रस्तावित है उसकी Office ID एवं जिस अधिकारी को आहरण वितरण अधिकार दिये जाने प्रस्तावित है उसके पदस्थापन स्थान की Office ID का उल्लेख निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से किया जावे।
2. प्रस्ताव मेल आई.डी. **school03power@gmail.com** के अतिरिक्त अन्य किसी ई-मेल आईडी पर प्रेषित नहीं करावें। अन्य किसी आईडी/मीडिया पर प्रेषित किये जाने वाले प्रस्तावों पर कार्यवाही नहीं की जावेगी ।
- 3 इस कार्यालय द्वारा निर्धारित संलग्न प्रपत्र के समस्त कॉलमों की पूर्ति करने के पश्चात ही प्रस्ताव प्रेषित करावें ।

संलग्न : प्रपत्र उपरोक्तानुसार


वित्तीय सहलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

आहरण वितरण अधिकारी (03 Power) हेतु प्रस्ताव का प्रपत्र
कार्यालय.....

क्र.सं	जिस संस्था हेतु आहरण वितरण अधिकार दिये जाने है की Office ID	संस्था का नाम व कार्यालय अध्यक्ष का पदनाम, जिसके लिये आहरण वितरण अधिकार दिये जाने है	अधिकारी का नाम/पदनाम व पदस्थान स्थान जिसको आहरण वितरण अधिकार दिये जाने है मय जन्मतिथि तथा पदस्थापन स्थान की Office ID	कॉलम 4 में अंकित अधिकारी का चयन यथा आरपीएससी/डीपीसी/पाले वेतन अंकित करें	कॉलम 3 व 4 में अंकित संस्थाओं में परस्पर दूरी किमी में	संबंधित कोष/उपकोष कार्यालय का नाम	विभागीय जांच की स्थिति	कॉलम 4 में अंकित अधिकारी को कितनी संस्था/कार्यालयों का आहरण वितरण अधिकार है	लेखा कर्मी की टिप्पणी परिपत्र के बिनदु संख्या 1,2 के अनुसार	संघारित रजिस्टर का क्रमांक व दिनांक	विशेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

हस्ताक्षर

जिला शिक्षा अधिकारी (मा)/
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

उक्त प्रस्ताव मेल आई.डी. **School03power@gmail.com** पर ही आवश्यक रूप से किया जावे।

उक्त प्रस्ताव के कॉलम संख्या 4 में जिस संस्था के कार्मिक/अधिकारी को आहरण वितरण अधिकार दिया जाना है उस संस्था की **office id** अंकित करनी है कर्मचारी की नहीं।